न्यायालय तहसीलदार(राजस्व) छतरगढ़ जिला बीकानेर

मु.नं. 07/2020

निर्णय दिनांक 20.10.2020

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का छतरगढ (बी) तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर

प्रार्थी

बनाम

यासीन खां पुत्र कालू खां कौम मुसलमान साकिन चक 8 ए.आर.एम तहसील छतरगढ जिला बीकानेर।

अप्रार्थी

<u>अन्तर्गत राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22</u>

<u>–निर्णय–</u>

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का छतरगढ (बी) ने रिपोर्ट मय प्रपत्र पी. 14 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी यासीन खां पुत्र कालू खां कौम मुसलमान साकिन चक 8 ए.आर.एम तहसील छतरगढ जिला बीकानेर ने चक 8 ए.आर.एम के मु.न. 79/62 के कि.न. 1 = 0.02, 10/1 = 0.02,11 = 0.02, 20/1 = 0.02, 21 = 0.02 कुल 0.10 बीघा गैर मुमकिन रास्ता की भूमि एवं मु.न. 79/62 के कि.न. 1 = 0.18, 11 = 0.18, 21 = 0.18 कुल 2.14 बीघा अराजीराज भूदान भूमि कुल तादादी 3.04 बीघा कम./अ.क. गैर मुमकिन रास्ता व अराजीराज भूदान भूमि पर कृषि सम्दत् 2077 फसल खरीफ में अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर ग्वार की फसल काश्त कर ली है।

रिपोर्ट प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को अपना पक्ष/जवाब प्रस्तुत करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ, जो शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी ने जवाब–प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि सीमाज्ञान के अभाव में उक्त रकबे पर गलती से बिजान हो गया है। अप्रार्थी ने अतिक्रमण करना स्वीकार किया है।

राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के प्रावधानो के तहत कोई व्यक्ति उपनिवेशन क्षेत्र में बिना किसी विधिक अधिकार के किसी भूमि पर काबिज होने अथवा लगातार काबिज रहने की स्थिति मे अतिक्रमी माना जावेगा तथा उसे इस धारा के प्रावधानो के तहत तहसीलदार द्वारा बेदखल किया जावेगा। ऐसा अनिक्रमी 50 गुना लगान की शास्ति तक दण्ड का भागी व पश्चातवर्ती अतिक्रमण की दशा में 3 माह के सिविल कारावास का भागी होगा।

अतः प्रकरण मे अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है। अप्रार्थी के विरूद्ध राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के प्रावधानो के तहत कार्यवाही अमल मे लाई जाकर भू–राजस्व का 50 गुना 122/–अक्षरे एक सौ बाईस रूपये शास्ति आरोपित कर, मौके पर रास्ता चालू करवाये जाने एवं गैरसायल को बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते है ।

मौके पर खडी फसल को भू.अ.निरीक्षक छतरगढ व पटवारी हल्का छतरगढ (बी) द्वारा दिनांक 30.09.2020 को कुर्क किया जा चुका है। भू.अ.निरीक्षक छतरगढ को आदेशित किया जाता है कि कुर्कशुदा फसल को निलाम कर निलामी की कार्यवाही कर अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करे। बाद अनुमोदन निलामी राशि राजकोष मे जमा करावे।

तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी व पटवारी हल्का को वसूली एवं मौके से बेदखली/कब्जा भूमि बहक सरकार लेने बाबत बाबत लिखा जावे। पत्रावली फैसल शूमार होकर नम्बर से कम कर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 20.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुलदीप सिंह)
तहसीलदार एवं कार्यपालक दण्डनायक
छतरगढ़ (बीकानेर)

तहसीलदार एवं कार्यपालक दण्डनायक
छतरगढ़ (बीकानेर)